दिनांक–05.04.2018 को श्री राहुल पुरवार (भा0प्र0से0) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली निगम लि0, रांची की अध्यक्षता में सम्पन्न Aspirational District की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :-

1. श्री राहुल पुरवार, प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली निगम लि0, रांची।
2. उपायुक्त, लातेहार।
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रादेशिक वन प्रमण्डल, लातेहार।
4. उप विकास आयुक्त, लातेहार।
5. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के प्रतिनिधि, लातेहार।
6. निदेशक, डी0आर0डी0ए0, लातेहार।
7. जिला योजना पदाधिकारी, लातेहार।
8. जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार।
9. जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार।
10. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार।
11. जिला पशुपालन पदाधिकारी, लातेहार।
12. कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार।
13. अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, मेदिनीनगर।
14. उप परियोजना निदेशक, आत्मा, लातेहार।
15. डी0पी0एम0, जे0एस0एल0पी0एस0, लातेहार।

दिनांक–05.04.2018 को प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली निगम लि0, रांची की अध्यक्षता में Aspirational District लातेहार के लिए नीति आयोग द्वारा निर्धारित Indicators के आलोक में विभागवार यथा– स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, विद्युत, वित्तीय समावेशन एवं आधारभूत संरचना के कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा संबंधित विभाग के पदाधिकारी के साथ की गई। समीक्षा के क्रम में विभागवार निम्नांकित निदेश दिये गये :-

स्वास्थ्य एवं पोषण :-

समीक्षा के क्रम में असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लातेहार द्वारा मानव संसाधन एवं आधारभुत संरचना की उपलब्धता की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। इसी क्रम में बताया गया कि संस्थागत प्रसव की शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्यरत ए0एन0एम0 का स्वास्थ्य उप केन्द्र में आवासन आवश्यक है। लातेहार जिला में 53 ए0एन0एम0 की बहाली जिला स्तर से किया जाना है। ममता वाहन की संख्या कम होने के कारण भी संस्थागत प्रसव में कठिनाई होती है।

इस संदर्भ में निम्नांकित निदेश दिये गये :-

1. संस्थागत प्रसव एवं शतप्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करावें।
2. स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत जिलास्तर पर नियुक्ति के लिए रिक्त पदो के विरुद्ध Roster Clearance करते हुए संविदा पर अविलम्ब नियुक्ति करने की कार्रवाई करें।
3. नियमित पद के विरुद्ध नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करें।
4. संस्थागत प्रसव के लिए जागरुकता फैलाने हेतु सेविका एवं सहायिका को प्रशिक्षित करें ताकि ग्रामीणों को संस्थागत प्रसव के लाभ के बारे में बताया जा सकें।

5. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा बताया गया कि संस्थागत प्रसव के लिये सुदुर क्षेत्रों में वर्षा काल के दौरान कुछ क्षेत्र पुल/ पुलिया एवं सड़क नहीं रहने के कारण कठिनाई उत्पन्न होती है। वैसे सुदुर क्षेत्रों का सर्वे कर पुल/पुलिया, कल्भर्ट, सड़क निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करें।
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरवाडीह में पाईप लाईन से जल आपूर्ति तथा 80 स्वास्थ्य उपकेन्द्र की मरम्मति का प्रस्ताव तैयार करने हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लातेहार को निदेश दिया गया।
7. MTC :- कुपाषित बच्चों को जांच कर MTC में भर्ती कराने के लिए आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को जागरूक करने का निदेश दिया गया। इसके लिए जागरुकता अभियान प्रत्येक पंचायत में आयोजित करने का निदेश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार को दिया गया।
8. कुपोषण को नियंत्रित करने के लिये गर्भवती माताओं को Early Breast Feeding एवं Early Child Marriage के संबंध में जागरुक करने का निदेश दिया गया।
9. सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के साथ ही 03-06 साल के बच्चे के नाम से किचन गार्डन में वृक्ष लगाने का निदेश दिया गया।
10. जिला के 962 आंगनबाड़ी केन्द्र में बिजली की आपूर्ति हेतु अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, मेदिनीनगर को निदेश दिया गया। साथ हीं प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में 02 एल0ई0डी0 बल्ब लगाने का निदेश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार को दिया गया।
11. अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, मेदीनीगर को माह- अक्टुबर 2018 तक लातेहार जिला के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र के सरकारी भवनों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लातेहार/ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार/ अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, मेदिनीनगर)

शिक्षा विभाग :-

समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा बताया गया कि लातेहार जिला अन्तर्गत कुल 1178 विद्यालय है जिसमें कुल विद्यार्थी की संख्या-1,52,731 तथा शिक्षक की संख्या 3060 है कुल 38 विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है तथा अवशेष में आवश्यकता है।

1. विद्यालय में पठन-पाठन के साथ बाल सांस्कृतिक कार्यक्रम का वातावरण बनायें ताकि छात्रों का समेकित विकास हो सके। साथ हीं छात्र एवं शिक्षक के अनुपात को संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
2. प्रत्येक पंचायत में 5-6 विद्यालयों को विलय कर शिक्षा की गुणवत्ता सुदृढ़ करने का प्रस्ताव तैयार करने का निदेश दिया गया। दुरस्थ क्षेत्रों में 05-06 कि0मी0 के दायरे में स्कूल बस संचालन कर एक ही विद्यालय में बच्चों को गुणवतायुक्त शिक्षा देने के लिए माडल स्कूल के रूप में तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार/जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार)

कृषि विभाग :-

समीक्षा के क्रम उप परियोजना निदेशक, आत्मा, लातेहार द्वारा बताया गया कि लातेहार जिला अन्तर्गत कुल-54150 हेक्टर कृषि योग्य भूमि है। इस वर्ष 5 लाख पपीता एवं 5 लाख नाशपती का पौधशाला तैयार किया जाना है। वर्तमान में 2000 क्विंटल **Quality Seed** का उत्पादन हुआ है

इस संदर्भ निदेश दिया गया कि कृषि के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु **Foundation Seed** तैयार करावें।

2. सब्जी उत्पादन के लिये क्षेत्र चिन्हित कर सिंचाई सुविधा हेतु लघु सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित कर योजना तैयार करें। साथ हीं लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित चेक डैम से सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए तथा उस क्षेत्र में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना तैयार करें।

3. **Foundation Seed** तैयार करने हेतु संबंधित पैक्स/लैम्पस से समन्वय स्थापित कर कार्य योजना तैयार करें।

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं समाज कल्याण के पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर स्वास्थ्य उपकेन्द्र, स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र में अगामी झारखंड स्थापना दिवस से पूर्व शत प्रतिशत बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निदेश अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, मेदिनीनगर को दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

13/04/18

उपायुक्त, लातेहार

ज्ञापांकः– 541 /जि0वि0, लातेहार दिनांकः– 13.4.18

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार/ जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार/ जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार/ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार एवं असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है उक्त कार्यवाही को जिले के वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लातेहार/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, लातेहार एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर, पलामू/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव-सह-विकास आयुक्त, झारखंड सरकार/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली निगम लि0, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखंड सरकार, रांची/ मुख्य सचिव के उप सचिव, झारखंड सरकार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

13/04/18

उपायुक्त, लातेहार